छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 55/2008

1. श्री डी0एस0 शास्त्री, – *अपीलार्थी*
अनुवादक, लक्ष्मी सुंदरम् लॉज के सामने,
दयालबंध, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
प्राचार्य, सी0एम0डी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 11 फरवरी, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री डी0एस0 शास्त्री द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, प्राचार्य, सी0एम0डी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर के समक्ष दिनांक 08.10.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन पर चाही गई जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यायल, बिलासपुर के समक्ष दिनांक 23.10.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसे प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय द्वारा अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर को दिनांक 25.10.2007 को हस्तांतरित किया गया, उक्त अपील का निराकरण दिनांक 14.11.2007 को प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा किया जाकर प्रति अपीलार्थी को संपूर्ण जानकारी प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु उक्त आदेश के बाद भी अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 12.10.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में प्रति अपीलार्थी को विलंब के लिए पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया और उक्त उत्तर संतोषप्रद होने के कारण जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया गया । अपीलार्थी के मूल आवेदन तथा प्रति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तर की कंड़िकाओं का अवलोकन करने के बाद यह प्रतीत होता है कि पूर्व आदेश की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये जाने के बाद भी अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई । अतः प्रकरण में निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के मूल आवेदन की कंडिका– 1, 2, 3 तथा 4 से संबंधित दस्तावेज तथा कंडिका–5 का स्पष्ट उत्तर दिया जावे तथा कंडिका–6 में आहरित राशि वापस की गई है अथवा नहीं, स्पष्ट उत्तर दिया जावे । वर्ष 2006–2007 तथा 2007–2008 में कितनी राशि जमा की गई है, कंडिका–7 का स्पष्ट उत्तर दिया जावे एवं नियोक्ता द्वारा पेंशन खण्ड में अंशदान जमा किया जाता है अथवा नहीं, कंड़िका–8 से संबंधित समस्त दस्तावेज अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जावे तथा कंडिका–10 से संबंधित दस्तावेज जो शैक्षणिक आर्हता से संबंधित है, उपलब्ध कराया जावे । उपरोक्त समस्त दस्तावेज अब 15 दिवस के अन्दर अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराया जावे ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

साथ ही विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत महाविद्यालय की ओर से राशि 500/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं । प्रकरण में अध्यक्ष, प्रबंध समिति, सी0एम0डी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर को यह भी निर्देश दिये जाते है कि वे महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करावे तथा महाविद्यालय में सूचना का अधिकार के आवेदनों के निराकरण की समुचित व्यवस्था करें ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com